संख्या : 59/2026/512/छप्पन-2026-180(लेखा)/82

प्रेषक,

निखिल टीकाराम फुंडे,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
नागरिक उड्डयन,
उ0प्र0, लखनऊ।

नागरिक उड्डयन अनुभाग लखनऊ : दिनांक : 10 अगस्त, 2026

विषय : राजकीय वायुयानी हेलीकाप्टरों के लिये ईंधन प्राप्त करने के लिए मेसर्स इंडियन आयॅल कारपोरेशन लि० के कारनेट्स हेतु प्रत्याभूति के लिए धनराशि के व्यय की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-32/ना0उ0नि0/कारनेट्स/26 दिनांक 13 मई, 2026 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से अवगत कराया गया है कि शासनादेश संख्या-184/छप्पन-10-180 (लेखा)/82 दिनांक 26.2.2010 द्वारा कुल धनराशि रू0 35,00,000.00 (रू0 पैतीस लाख मात्र) की प्रत्याभूति कारनेट्स हेतु मे० इंडियन आयल कारपोरेशन के पास जमा करने की स्वीकृति प्रदान की गयी है। मेसर्स इंडियन आयॅल कारपोरशन लिमिटेड, लखनऊ ने अपने ई-मेल दिनांक 27.11.2025 द्वारा यह सूचित किया गया है कि ए०टी०एफ० की दरों में परिर्वतन एवं राजकीय फलीट में नये हेलीकाप्टर शामिल किये जाने के फलस्वरूप अतिरिक्त प्रत्याभूति जमा किये जाने की आवश्यकता है। यहां यह उल्लेखनीय है कि वर्तमान में मे० इंडियन आयल कारपोरेशन के पास रू0 35.00 लाख (रू0 पैंतीस लाख मात्र) की धनराशि प्रत्याभूति के रूप में जमा है। इस प्रकार अतिरिक्त रू0 15.00 लाख (रू0 पन्द्रह लाख मात्र) की स्वीकृति के उपरान्त कुल धनराशि रू0 50.00 लाख प्रत्याभूति के रूप में जमा हो जाएगी। तत्क्रम में द्वारा इण्डियन आयल कारपोरेशन लि0 के पक्ष में धनराशि रू0 15,00,000/- (रू0 पन्द्रह लाख मात्र) की अतिरिक्त प्रत्याभूति जमा की स्वीकृति प्रदान किए जाने का अनुरोध किया गया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय विमान ईंधन तेल हेतु इण्डियन आयल कारपोरेशन की कारनेट में पूर्व में जमा धनराशि रू0 35,00,000/- (पैंतीस लाख मात्र) को हिसाब में लेते हुए चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 में नागरिक उड्डयन निदेशालय, उत्तर प्रदेश के विमानों के लिए ईंधन/तेल प्राप्त करने हेतु इण्डियन आयल कारपोरेशन के कारनेट के लिए रू0 15,00,000/- (रू0 पन्द्रह लाख मात्र) की अतिरिक्त धनराशि के व्यय की स्वीकृति प्रदान करते हैं। इस प्रकार उक्त रू0 15,00,000/- (रू0 पन्द्रह लाख मात्र) की धनराशि को सम्मिलित करके राजकीय वायुयान/हेलीकाप्टरों के ईंधन/तेल को इण्डियन आयल कारपोरेशन से उनके कानरेट के आधार पर प्राप्त करने हेतु प्रत्याभूति की जमा कुल धनराशि रू0 50,00,000/-(रूपये पचास लाख मात्र) हो जाएगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

3- इन्डियन आयल कारपोरेशन से वायुयानों /हेलिकाप्टरो के लिए ईधन की आवश्यकता न रहने की दशा में/कार्नेट की आवश्यकता न रहने पर कार्नेट्स उक्त कारपोरेशन को वापस कर दिए जायेगे और प्रतिभूति की धनराशि कारपोरेशन से प्राप्त कर उसी लेखाशीर्षक, जिसके समक्ष धनराशि प्रस्तावित की जा रही है, के प्राप्ति पक्ष में जमा करने का दायित्व निदेशक, नागरिक उड्डयन का होगा।

4- उपर्युक्त होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्ययक के ''लेखाशीर्षक 8674-सरकार द्वारा की गयी प्रत्याभूति जमा-101-सरकार द्वारा की गयी प्रत्याभूति जमा-02-प्रत्याभूति जमा-01-इंडियन आयल कारपोरेशन को कारनेट्स के लिए प्रत्याभूति जमा'' के नामे डाला जायेगा।

5- यह आदेश वित्त विभाग की आशासकीय संख्या–ई-7-37/दस-2026-27 दिनांक 07 अगस्त, 2026 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किए जा रहे हैं।

भवदीय,
निखिल टीकाराम फुंडे
विशेष सचिव

संख्या : 59 /2026/512(1)/छप्पन-2026 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्निलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

(1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-प्रथम, उ0प्र0, प्रयागराज।
(2) महालेखाकार (प्रथम-ऑडिट/लेखा) उ0प्र0, प्रयागराज।
(3) उप महालेखाकार/ई0एस0-III, आडिट भवन, टीसी-35-वी-1, विभूति खण्ड गोमतीनगर, लखनऊ-20
(4) मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
(5) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2, उ0प्र0 शासन।
(6) वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7, उ0प्र0 शासन।
(7) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
अभिनव कुमार चौरसिया
अनु सचिव

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।